

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2023/96439/GKP/GORAKHPUR/1346/CFO

दिनांक: 07-10-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **CENTRAL PUBLIC ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता -**ARAZI NO- 279,280,281,282,284 NAI BAZAR ROAD, BHAUPUR, CHAURI CHAURA, GORAKHPUR** तहसील - **CHAURI CHAURA** प्लाट एरिया **2870.83 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **2462.99** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 2 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
SCHOOL	3	0	3.65 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **CENTRAL PUBLIC ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित कराया गया व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **07-10-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ABHIMANYU KUMAR DUBEY** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानको के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधियोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **10-10-2023** से **09-10-2026** तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **CENTRAL PUBLIC ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर नकराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **CENTRAL PUBLIC ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।”

Note : 1-एफ0एस0ओ0 की संस्तुति व आवेदक के द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों के क्रम में शासनादेश संख्या-187/छ-पु0-8-2022 /905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक 07-01-2022 के अनुसार निर्गत है। 2-स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को कार्यशील रखना अनिवार्य होगा।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Jai Prakash Singh

49E14DDDB657D84AD71266898C61B1FE4333961

10-10-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 10-10-2023

स्थान : GORAKHPUR

Note:- kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of up fire Service.